124

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1713–दो/2009 – विरूद्ध आदेश दिनांक 9–11–2009 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 457/2007–08 अपील

श्रीमती लाड़कुँअर वाई पत्नि
महाराज सिंह ग्राम पठारी
तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर ---आवेदक

विरूद्ध

किशोर सिंह पुत्र प्यारेलाल
ग्राम बजावन तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्रीआर0बी0शर्मा)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री जितेन्द्र त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक 18-7, 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 457/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–11–2009 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार मुंगावली को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कोमल सिंह (निःसंतान) की मृत्यु होने से उनके नाम की कृषि भूमि पर नामान्तरण की मांग की। अनावेदक ने भी बसीयत प्रस्तुत कर मृतक कोमल सिंह की भूमि पर नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण कमांक 26–अ–6/2004–05 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की

सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 29.9.2006 पारित करके सजरा खानदान अनुसार मृतक के वारिसों का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष दो अपील क्रमांक 8 एंव 9/06-07 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 27-5-2008 से मृतक की समस्त भूमि पर अनावेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 457/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-11-2009 से मृतक कोमलसिंह के निःसंतान फोत होने एंव फर्जी बसीयतें पाये जाने से मृतक खातेदार की समस्त भूमियॉ म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 177 के अंतर्गत शासकीय घोषित की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अनावेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि मृतक कोमलसिंह की अनावेदक सगी भतीजी है मृतक कोमलसिंह अनावेदक के काका थे जिन्होंने उसके पति महाराजसिंह के हित में 21,000 रू. लेकर विक्रय अनुबंध पत्र भी संपादित कर दिया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने अनुबंध पत्र की अनदेखी की है। मृतक कोमल सिंह की आवेदक भतीजी होने से समस्त कृषि में एंव अनुबंध पत्र के आधार पर नामान्तरण कराने का स्वत्व प्राप्त है।

अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि तहसीलदार व्दारा धारा 164 के प्रावधानों को देखे बिना आदेश पारित किया है। आवेदक वर्ग-9 का एकमात्र वारिस है। पटवारी रिपोर्ट में जिन फूलवाई,

जानकीवाई, लाडोवाई व हरकों के नाम बताये हैं यह धारा 164 के अनुसार वारिस नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि संहिता की धारा 177 तभी लागू होती है जब कोई व्यक्ति वारिसानों के बिना मर जाय, तब तहसीलदार ऐसे व्यक्ति की भूमि का कब्जा लेगा और एक वर्ष की कालावधि के लिये पटटे पर देगा। जबकि मृतक कोमलसिंह का आवेदक विधिक वारिस है। उन्होंने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 9-11-2009 को निरस्त कर आवेदक के हित में निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर मनन् करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि खातेदार कोमल सिंह निःसंतान मरा है एंव उसकी कृषि भूमि पर आवेदक एंव अनावेदक मृतक खातेदार के सम्बन्धी होना बताकर अपना अपना स्वत्व पहुंचना बता रहे हैं। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 9-11-2009 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश के पद-6 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

" अतएव उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अपील ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समस्त आदेश अपास्त किये जाते हैं और कोमल सिंह के स्वामित्व की समस्त भूमियों को शासकीय घोषित किया जाता है । पक्षकारों के व्दारा स्वत्व का निर्धारण कराये जाने के वाद तदनुसार अमल/नामान्तरण की कार्यवाही की जावे। ''

प्रकरण में आवेदक मृतक खातेदार की भतीजी होने तथा उसके पति के पक्ष में विक्रय अनुबंध होने से एंव अनावेदक बसीयत के आधार पर मृतक कोमल सिंह की भूमि में स्वत्व पहुंचना बता रहे

है जिसके कारण विद्वान अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 9-11-09 में निकाला गया निष्कर्ष कि **"पक्षकारों के व्दारा स्वत्व का निर्धारण कराये जाने के वाद तदनुसार अमल/नामान्तरण की कार्यवाही की जावे"** उचित प्रतीत होता है क्योंकि स्वत्व के वाद का निराकरण करने की शक्तियॉ राजस्व न्यायालय को नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 457/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-11-2009 उचित पाये जाने यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर